

न्यायालय:-अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

(समक्ष:-डी०सी०थपलियाल)

प्र०क्र० 05 / 2015 अ०फौ०

संस्थित दिनांक 15.12.2014

छविराम पुत्र हरविलाश कुशवाह आयु 46 वर्ष निवासी  
सुज्जो का पुरा, थाना एण्डोरी जिला भिण्ड म०प्र०

-----अपीलार्थी / आरोपी

बनाम

म०प्र०शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

-----रिस्पोंडेंट

अपीलार्थी द्वारा श्री उदलसिंह गुर्जर अधि०

प्रत्यर्थी राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर ए०पी०पी०

// निर्णय //

(आज दिनांक 23-09-2016 को घोषित किया गया)

01. अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक अपील अंतर्गत धारा 374 जा०फौ० का निराकरण किया जा रहा है, जिसमें अपीलार्थी ने न्यायालय जे०एम०एफ०सी० गोहद, पीठासीन अधिकारी श्री केशवसिंह के द्वारा दाण्डिक प्र०क्र० 756 / 2007 इ०फौ० पुलिस थाना गोहद वि० छविराम आदि में पारित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 25 / 11 / 2014 से व्यथित होकर वर्तमान अपील पेश की गई है, जिसमें अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा आरोपी को धारा 279, 337 भा०द०सं० तथा मोटरयान अधिनियम की धारा 146 / 196, 3 / 181 के अंतर्गत दोषसिद्ध पाते हुये धारा 279 भा०द०सं० में 03 माह का साधारण कारावास व 200 रुपये के अर्थदण्ड अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 10 दिवस का साधारण कारावास तथा धारा 337 भा०द०सं० में आरोपी को 03 माह का साधारण कारावास और 200 / - रुपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 10 दिवस का साधारण कारावास तथा मोटरयान अधिनियम की धारा 146 / 196 में न्यायालय उठने तक के कारावास और 500 / - रुपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में आरोपी को 10 दिवस का साधारण कारावास एवं धारा 3 / 181 मोटरयान अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा व 200 / - रुपये अर्थदण्ड अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 10 दिवस का साधारण कारावास से दण्डित किये जाने का आदेश दिया गया है।

02. अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस

प्रकार से रहा है कि दिनांक 28-6-07 के 11:30 बजे फरियादी ग्यादीन ने मय अपने नाती देवेन्द्र के साथ पुलिस थाना गोहद में उपस्थित होकर इस आशय की जुवानी रिपोर्ट की कि आज दिनांक 23-6-07 को उसके गांव के मेघराम का साला छविराम कुशवाह निवासी सुज्जेपुरा ट्रेक्टर लेकर गांव बडैरा में आया ट्रेक्टर रायचन्द्र पोरसा के मुरारी का था। करीब 11:00 बजे की बात है उसका नाती देवेन्द्र उम्र 05 साल घर के सामने गली में खेल रहा था तब छविराम तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ निकला और उसके नाती देवेन्द्र के टक्कर मार दी जिससे नाती देवेन्द्र के पुठे व गुदा तथा पीठ में चोटें आईं। दुर्घटना कारित करने के पश्चात् छविराम ट्रेक्टर भगाते हुये चला गया। मौके पर फरियादी की लडकी पार्वती, उसका भांजा सुखवीर थे जिन्होंने घटना देखी व ट्रेक्टर रोकने का प्रयास किया, किन्तु ट्रेक्टर नहीं रुका। फरियादी ने घर लौटकर आने पर घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना गोहद में की जिस पर अपराध क्रमांक 107/07 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03. अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया धारा 279, 337 भा0द0सं0 एवं 3/181, 146/196 मोटर व्हीकल एक्ट का आरोप पाये जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाये व समझाये गये आरोपी ने जुर्म अस्वीकार कर विचारण की मांग की है।

04. अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अभियोजन साक्ष्य एवं अंतिम तर्क श्रवण उपरांत आरोपी को दोषसिद्ध ठहराते हुये कंडिका-1 के अनुसार दण्डित किये जाने का आदेश दिया गया है।

05. अपीलार्थी के द्वारा वर्तमान अपील मुख्य रूप से इन आधारों पर पेश की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व दण्डादेश दिनांक 25/11/14 विधि विधान के विपरीत है। विचारण न्यायालय के द्वारा साक्षियों के कथनों में परस्पर अत्याधिक विरोधाभास आने के उपरांत भी उन पर विश्वास करते हुए निर्णय व दण्डादेश पारित किया गया है। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट बिलम्ब से दर्ज कराई गई है और बिलम्ब से दर्ज कराने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। साक्षीगण परस्पर रिस्तेदार है। किसी स्वतंत्र साक्षी के द्वारा प्रकरण का समर्थन नहीं किया गया है। चिकित्सक के द्वारा भी चोटें गिरने से आना संभावित बताया गया है। आरोपी के रिस्तेदारों की फरियादी पक्ष से रंजिश होने के कारण उसे झूठा लिप्त किया गया है। इसके उपरांत भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा आलोच्य निर्णय एवं दण्डादेश पारित करने में कानूनी भूल की है। ऐसी दशा में अधीनस्थ विचारण न्यायालय का निर्णय दण्डादेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है उसे अपास्त कर आरोपी को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

06. राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व दण्डादेश को उचित रूप से बताते हुये उसमें हस्तक्षेप करने या फेरबदल करने का कोई आधार ना होना बताया है कि वह स्थिर रखे जाने योग्य है।

07. वर्तमान अपील के संबंध में मुख्य रूप से विचारणीय है कि :-

क्या अधीनस्थ विचारण न्यायालय का दोषसिद्ध आदेश एवं दण्डादेश दिनांक 25.11.2014 स्थिर रखे जाने योग्य न होकर अपास्त किए जाने योग्य है?

### ::- निष्कर्ष के आधार:-:

08. अपीलार्थी/आरोपी अधिवक्ता ने अपने तर्क में मुख्य रूप से व्यक्त किया कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट 6 दिन बिलम्ब से की गई है, जिसका कोई भी उचित कारण नहीं बताया गया है। फरियादी/रिपोर्टकर्ता ग्यादीन के द्वारा आरोपी से रंजिश के कारण उसको फसाने के उद्देश्य से उसके विरुद्ध रिपोर्ट की गई है। अभियोजन साक्षियों के कथनों में परस्पर विरोधाभास विसंगतियाँ आई हैं जो कि तात्त्विक प्रकार की हैं। अभियोजन के द्वारा जो साक्षी पेश किये गये हैं वह आपस में रिस्तेदार होकर हितबद्ध साक्षी हैं, उनके कथनों पर विश्वास करते हुए विचारण न्यायालय के द्वारा प्रकरण को प्रमाणित मानते हुए आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया गया है जो कि उचित नहीं है।

09. वर्तमान प्रकरण के संबंध में अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के साक्ष्य कथन पर विचार किया जाना एवं साक्ष्य का पुनर मूल्यांकन किया जाना उचित होगा।

10. इस संबंध में घटना के फरियादी/रिपोर्टकर्ता ग्यादीन अ0सा0 1 जो कि पीडित नावालिग बालक देवेन्द्र का दादा है के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में आरोपी को पहचानना स्वीकार करते हुए बताया है कि करीब 6 साल पहले की बात है आरोपी बडेरा गांव से ट्रैक्टर लेकर आया था जिससे कि आहत देवेन्द्र करनसिंह के दरवाजे पर खेल रहा था उसी समय आरोपी छविराम के द्वारा ट्रैक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया गया और देवेन्द्र को टक्कर मार दी जिससे उसे कमर, पुठठे और पीठ में चोटें आई थी। उसके एवं पार्वती जो कि घटनास्थल पर थी के द्वारा घटना देखी गई थी। घटना की रिपोर्ट थाने में लिखाई गई थी जो कि प्र.पी. 1 है जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा पुलिस ने घटनास्थल का नक्शामौका बनाया था जो प्र.पी. 2 है जिसके भी ए से ए भाग पर उसका हस्ताक्षर है।

11. घटना के संबंध में घटना का अन्य चक्षुदर्शी बताए गए साक्षी पार्वती अ0सा0 2 जो कि आहत की बुआ है के द्वारा भी घटना दिनांक को आरोपी छविराम के द्वारा ट्रैक्टर को

तेजी व लापरवाही से चलाते हुए लाना और देवेन्द्र को टक्कर मार देना और टक्कर मारने के पश्चात् आरोपी ट्रैक्टर को लेकर भाग जाना बताया है और यह भी बताया है कि घटना के समय उसके बुआ का लडका सुखबीर भी मौजूद था। ट्रैक्टर रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन आरोपी ने ट्रैक्टर को नहीं रोका था। इस संबंध में साक्षी सुखबीर अ0सा0 3 के द्वारा भी आरोपी छविराम के द्वारा स्पीड से एवं लापरवाही से ट्रैक्टर को चलाते हुए लाना और देवेन्द्र को टक्कर मारना जिससे कि उसकी गुदा व अन्य जगह चोटें आना बताया है। उसने व पार्वती ने घटना देखी थी।

12. डॉक्टर आलोक शर्मा अ0सा0 4 जिन्होंने कि आहत का चिकित्सीय परीक्षण किया है ने आहत के परीक्षण में उसके दोनों कूल्हों में नील के निशान जो कि लालिमा लिए हुए थी और गुदा के चारो तरफ सूजन मौजूद थी एवं पेट के निचले भाग में सूजन थी और पीठ पर 4 गुणा 1.5 से.मी. नील का निशान था। आहत की चोटें कडी एवं भौतरी वस्तु से 12 घण्टे के भीतर आना संभावित थी। आहत को उपचार हेतु जे0ए0एच0 ग्वालियर भेजा था।

13. घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 जो कि ग्यादीन के द्वारा थाना गोहद में लिखाई गई है जो कि रिपोर्ट दिनांक 28.06.2007 को दर्ज कराई गई है और घटना का दिनांक 23.07.2007 होना दर्शाया गया है। इस प्रकार घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट पांच दिन बिलम्ब से थाने में दर्ज कराई गई है। इस संबंध में घटना का रिपोर्टकर्ता ग्यादीन अ0सा0 1 के द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने पर कंडिका 2 में स्पष्ट बताया है कि रिपोर्ट से 5-6 दिन बाद डाली थी। इस संबंध में साक्षी के द्वारा रिपोर्ट बिलम्ब से दर्ज कराने के संबंध में पूछे जाने पर यह बताया है कि बच्चे की हालत ज्यादा खराब थी इस कारण उसी दिन रिपोर्ट नहीं की गई थी थोड़े दिन बाद रिपोर्ट डाली थी। यह उल्लेखनीय है कि चिकित्सक के द्वारा भी आहत की चोट को खतरनाक प्रकृति का होना उल्लेखित किया है। निश्चित तौर से फरियादी के द्वारा दिया गया उपरोक्त स्पष्टीकरण स्वभाविक होना प्रतीत होता है। घटना में यदि आहत जो कि पांच साल का बालक था और जिसे चिकित्सक के द्वारा इलाज के लिए गोहद अस्पताल से जे.ए.एच. ग्वालियर भेजा गया है। यदि उसका इलाज कराने को प्राथमिकता दी गई है और उसकी हालत थोड़ी ठीक होने के पश्चात् रिपोर्ट कराई गई हो तो यह रिपोर्ट बिलम्ब से किये जाने के संबंध में समुचित स्पष्टीकरण है। मात्र इस आधार पर कि रिपोर्ट 5 दिन बिलम्ब से की गई है इस आधार पर सम्पूर्ण अभियोजन प्रकरण के संबंध में कोई विपरीत निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

14. फरियादी ग्यादीन के इस संबंध में किए गए साक्ष्य कथन के प्रतिपरीक्षण उपरांत जहाँ तक प्रश्न है, प्रतिपरीक्षण में यद्यपि साक्षी ट्रैक्टर का नम्बर उसे ध्यान न होना और ट्रैक्टर का नम्बर न देख पाना बताया है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि फरियादी के द्वारा



ट्रैक्टर का नम्बर नहीं बताया जा सका है फरियादी जो कि ग्रामीण पृष्ठभूमि का अनपढ़ व्यक्ति है उससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह ट्रैक्टर का नम्बर पढ़कर उसे नोट करे। यह उल्लेखनीय है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से आरोपी छविराम के द्वारा घटना के समय ट्रैक्टर चलाए जाने के संबंध में उल्लेख आया हुआ है। फरियादी के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में भी स्पष्ट रूप से घटना के समय आरोपी के द्वारा ही ट्रैक्टर चलाए जाने के संबंध में बताया है। साक्षी प्रतिपरीक्षण कंडिका 3 में बचाव पक्ष के द्वारा पूछे जाने पर स्पष्ट किया है कि ट्रैक्टर छविराम तेजी से चला रहा था। इस संबंध में बचाव पक्ष अधिवक्ता के द्वारा साक्षी को इस आशय का सुझाव दिया है कि एक्सीडेंट उसके दरवाजे पर नहीं हुआ था, बल्कि करनसिंह के दरवाजे के सामने हुआ था, जिसे कि साक्षी ने स्वीकार किया है। इस प्रकार स्वयं बचाव पक्ष के द्वारा घटना दिनांक को दुर्घटना होने का सुझाव दिया गया है। इस संबंध में यद्यपि साक्षी करनसिंह के दरवाजे के सामने दुर्घटना होने के सुझाव को स्वीकार किया है। यह उल्लेखनीय है कि फरियादी एवं करनसिंह के घर एक दूसरे से लगे हुए हैं जैसा कि नक्शामौका से स्पष्ट है। ऐसी दशा में बचाव पक्ष के द्वारा दिए गए उक्त सुझाव के आधार पर आरोपी के द्वारा ट्रैक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाकर घटना कारित करने की पुष्टि होती है। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि गांव में आरोपी छविराम के बहनोई मेवाराम से खेत की मेड की लड़ाई चलने के कारण रंजिशन आपस में सलाह मसवरा कर घटना के 6 दिन बाद छविराम के खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखाई है और इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि आहत चबूतरे से गिर गया था और गिरने से उसे चोटें आई हैं।

15. अभियोजन के द्वारा बताए गए घटनाक्रम की पुष्टि अभियोजन साक्षी पार्वती अ0सा0 2 के कथन से भी होती है जो कि घटना की चक्षुदर्शी साक्षिया हैं। उक्त साक्षिया के द्वारा भी स्पष्ट रूप से आरोपी के द्वारा ट्रैक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाकर देवेन्द्र को टक्कर मारकर उसे उपहति कारित होने के संबंध में स्पष्ट रूप से बताया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षिया के द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि छविराम के पास स्वयं का ट्रैक्टर नहीं है, लेकिन जब घटना घटित हुई तब छविराम उसी ट्रैक्टर को लेकर आया था जिससे कि घटना हुई थी जो कि ट्रैक्टर रायचन्द्र के पुरा का था। निश्चित तौर से गांव में साधारणतः यह जानकारी रहती है कि ट्रैक्टर किस का और कहाँ का था। इस संबंध में यदि साक्षिया के द्वारा ट्रैक्टर किस गांव का था यह स्पष्ट बताया जा रहा है, मात्र इस आधार पर कि साक्षिया के द्वारा ट्रैक्टर का कोई नम्बर आदि नहीं बताया जा सका है इससे साक्षिया के कथन की विश्वसनीयता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। यद्यपि साक्षिया वकील साहब के द्वारा उसे वयान समझाने के संबंध में बता रही है, किन्तु साक्षिया इस सुझाव से साफतौर से इन्कार की है कि आरोपी के द्वारा ट्रैक्टर से उसके भतीजे का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था और इस

सुझाव से भी इन्कार किया है कि उसका भतीजा चबूतरे से गिर गया था इस कारण उसे चोटें आई थी। इस प्रकार साक्षिया पार्वती के द्वारा आरोपी छविराम को घटना में किसी रंजिश के कारण या अन्य किन्हीं कारणों से झूठा लिप्त किया जा रहा हो ऐसा मानने का कोई आधार अथवा कारण परिलक्षित नहीं होता है।

16. अन्य अभियोजन साक्षी सुखबीर अ0सा0 3 जो कि घटना का अन्य चक्षुदर्शी साक्षी होना बताया गया है उसके द्वारा भी आरोपी के द्वारा टैक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित कर आहत को चोटें पहुँचाए जाने के संबंध में अभियोजन प्रकरण का समर्थन किया है। उक्त साक्षी के द्वारा प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव से इन्कार किया है कि छविराम के पास टैक्टर नहीं था और वह टैक्टर नहीं चला रहा था और इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि आहत चबूतरे से गिर गया था जिससे उसे चोटें आई थी। उक्त साक्षी आरोपी छविराम को किसी रंजिश के कारण झूठा फसाए जाने से भी इन्कार किया है। इस प्रकार साक्षी सुखबीर के कथनों से भी अभियोजन प्रकरण की सम्पुष्टि होनी पाई जाती है।

17. आहत देवेन्द्र की चोटों की पुष्टि चिकित्सक डॉक्टर आलोक शर्मा के कथन के आधार पर भी होती है। यद्यपि डॉक्टर आलोक शर्मा के द्वारा आहत की चोटों के संबंध में प्रतिपरीक्षण में उसे किसी ऊँचाई से या चबूतरे से सतह पर गिरने से आ सकना बताया है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि चिकित्सक के द्वारा चोट आने के संबंध में कोई संभावना बताई जा रही है जबकि इस संबंध में चक्षुदर्शी साक्षी मौजूद है इस आधार पर कोई विपरीत अवधारणा नहीं की जा सकती है। बचाव पक्ष के द्वारा आरोपी को घटना में रंजिश झूठा लिप्त किये जाने के संबंध में लिया गया आधार कहीं भी प्रमाणित नहीं है और न ही इस संबंध में कोई साक्ष्य बचाव पक्ष के द्वारा पेश किया गया है।

18. बचाव पक्ष के द्वारा लिया गया अन्य आधार कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी एक ही परिवार के होकर रिस्तेदार है इस कारण उक्त साक्षीगण हितबद्ध साक्षी है। हितबद्ध साक्षियों के कथन पर विश्वास करते हुए आरोपी को दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है। इस संबंध में यद्यपि यह सत्य है कि अभियोजन साक्षी ग्यादीन अ0सा0 1, पार्वती अ0सा0 2 तथा साक्षी सुखबीर अ0सा0 3 आपस में रिस्तेदार है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि उक्त साक्षीगण आपस में रिस्तेदार है उनके साक्ष्य को हितबद्ध मानते हुए उन्हें अविश्वसनीय मानने का कोई आधार नहीं हो सकता है। जैसा कि इस बिन्दु पर **दिलीपसिंह वि0 स्टेट ऑफ पंजाब ए.आई.आर. 1953 एस.सी. 354 एवं बीरेन्द्र पोद्दार वि0 स्टेट ऑफ विहार ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 233** उल्लेखनीय है, जिनमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह अवधारित किया गया है कि मात्र निकट संबंधी होने के आधार पर साक्षीगण की साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई आधार नहीं माना जा सकता है, जबतक कि यह विचार

करने का कोई कारण या आधार न हो कि ऐसे आरोपी को साक्षी मिथ्या फसाने में रूचि रखते हों और आरोपी को झूठा लिप्त किये जाने के संबंध में कोई उचित नींव रखी जानी आवश्यक है।

19. यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान प्रकरण में धारा 146/196, 3/181 एम.व्ही.एक्ट के अंतर्गत आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया गया है जो कि वाहन चलाने की वैध अनुज्ञप्ति न होने और उसके विधिवत बीमित के संबंध में उक्त आरोप लगाया गया है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि विवेचना अधिकारी व जप्तीकर्ता अधिकारी जिनके द्वारा कि विवेचना और जप्ती की कार्यवाही की गई है के कथन अभियोजन के द्वारा नहीं कराए गए हैं। ऐसी दशा में जबकि जप्तीकर्ता अधिकारी व विवेचना अधिकारी के कथन अभियोजन के द्वारा नहीं कराए गए हैं। इस संबंध में बचाव पक्ष को बचाव हेतु कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ है और उक्त बिन्दु पर जप्तीकर्ता अधिकारी सहित किसी भी साक्षी के कथन न होने के परिप्रेक्ष्य में उक्त तथ्य प्रमाणित नहीं होता है। जबकि अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा मात्र विवेचना की कार्यवाही को आधार मानते हुए धारा 146/196, 3/181 भा०द०सं० के अंतर्गत भी अपराध प्रमाणित होना माना गया है जो कि प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में उक्त तथ्य प्रमाणित नहीं होता है।

20. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में घटना दिनांक को आरोपी के द्वारा वाहन टैक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित करने और देवेन्द्र को उपहति कारित करने के संबंध में अभियोजन प्रकरण प्रमाणित पाया जाकर आरोपी को धारा 279, 337 भा०द०सं० के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराए जाने में किसी प्रकार की कोई वैधानिक भूल या त्रुटि की जानी नहीं पाई जाती है। यद्यपि धारा 146/196, 3/181 एम.व्ही.एक्ट के संबंध में अपराध की प्रमाणिकता के संबंध में विचारण न्यायालय के द्वारा निकाला गया निष्कर्ष उचित नहीं है। तदनुसार विचारण न्यायालय के द्वारा पारित दोषसिद्ध आदेश धारा 279, 337 भा०द०सं० के संबंध में उसे उचित होना से स्थिर रखा जाता है, जबकि धारा 146/196, 3/181 एम.व्ही.एक्ट के अंतर्गत ठहराई गई दोषसिद्ध अपास्त करते हुए आरोपी को उक्त धाराओं के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। इस संबंध में अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

21. आरोपी को दिए गए दण्ड का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में बचाव पक्ष अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि आरोपी को दिया गया दण्ड अति कठोर है। आरोपी का कोई पूर्व का आपराधिक रिकार्ड भी नहीं है। उसके द्वारा सन् 2007 से विचारण का सामना किया जा रहा है और लगातार उपस्थित रह रहा है। ऐसी दशा में दण्ड के प्रश्न पर सहानुभूति पूर्वक विचार किये जाने का निवेदन उनके द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि आपराधिक परवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों पर भी विचारण



न्यायालय के द्वारा उचित रूप से विचार नहीं किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाने का निवेदन किया गया है।

22. सर्वप्रथम आपराधिक परवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का जहाँ तक प्रश्न है। आरोपी के विरुद्ध धारा 279, 337 भा०दं०वि० के अंतर्गत अपराध प्रमाणित होना पाया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा आरोपी को आपराधिक परवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों पर विचार करते हुए उसे प्रावधानों का लाभ दिया जाना उचित नहीं पाया गया है जो कि अपराध की प्रकृति एवं प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए उसे आपराधिक परवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना उचित नहीं है।

23. जहाँ तक आरोपी को दिए गए दण्ड का प्रश्न है। धारा 279, 337 भा०दं०वि० के अंतर्गत कमशः 3 – 3 माह के साधारण कारावास की सजा एवं 200/- 200/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। उक्त घटना जो कि आहत बच्चे के गली में खेलते समय घटित होना बताई गई है। घटना के तथ्यों, परिस्थितियों और प्रकृति को देखते हुए, आरोपी करीब 9 साल से विचारण का सामना कर रहा है। ऐसी दशा में अपराध की प्रकृति व तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को उक्त धाराओं के अंतर्गत प्रदत्त की गई 3-3 माह के साधारण कारावास की सजा को अपास्त करते हुए अर्थदण्ड की सजा बढ़ाया जाना उचित होगा। इस परिप्रेक्ष्य में आरोपी को धारा 279, 337 भा०दं०वि० में कमशः न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000/- रूपए एवं 500/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किये जाने का आदेश दिया जाता है। अर्थदण्ड की जो भी राशि आरोपी के द्वारा पूर्व में जमा की गई है उसे अधिरोपित अर्थदण्ड में समायोजित की जाए। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में कमशः 15 दिवस व 10 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जाए। आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा पूर्व में भुगताई जा चुकी है। आरोपी शेष अर्थदण्ड की राशि दस दिवस के अंदर अधीनस्थ न्यायालय में जमा कराए अन्यथा सजा भुगतने हेतु तत्पर रहे।

24. तदनुसार अपीलार्थी/आरोपी की अपील अपरोक्त अनुसार आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

25. आदेश की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख बापस किया जावे।  
निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(डी०सी०थपलियाल)  
अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)

(डी०सी०थपलियाल)  
अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)